न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 65/2016

निर्णय दिनांक :–21.03.22

उनवानी दावा :

जगदीश पुत्र सांवता कोम मोग्या आयु 60 वर्ष निवासी तितरिया तहसील देवली जिला–टोंक

– वादीगण –

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक
3. ग्राम पंचायत हिसामपुर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत हिसामपुर तहसील देवली, जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–

श्री बंशीलाल कलवार
अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 1 व 2
एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 3

दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है वादी के पिता सांवता पुत्र गोरधना कोम मोग्या की खातेदारी की आराजीयात साबिक ख0नं0 6 मिन रकबा 1 बीघा व ख0नं0 3/3 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है, जब तक वादी का पिता जीवत रहा तब तक वादी के पिता का कब्जा स्वामित्व रहा वादी के पिता मृत्यु के पश्चात उपरोक्त आराजीयात पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी के पिता का देहान्त हो चुका है, वादी ही उसका एक मात्र कायम मुकाम व वारिस है। देवली तहसील में हुये सैटलमेंट के दौरान उक्त भूमि के नये ख0नं0 17

रकबा 0.05 है0, ख0नं0 18 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 19 रकबा 0.96 है0 व ख0नं0 20 रकबा 1.09 है0 बना दिये गये है, जिनमें से ख0नं0 20 रकबा 1.09 है0 भूमि को तो वादी की खातेदारी में लगा दिया गया तथा शेष खसरा नम्बरों को चरागाह में अंकित किया जाना चाहिये था, लेकिन सैटलमेंट के दौरान बिना किसी सक्षम न्यायालय व सैटलमेंट अधिकारी के चरागाह अंकित कर दिया गया जो अवैधानिक है। सैटलमेंट के दौरान मिलान शीट नही बनायी जाने के कारण मिलान क्षेत्रफल भी गलत बनाया गया है, जिस जगह वादी के पिता का कब्जा था उसी भूमि पर आज भी वादी का कब्जा काश्त है, ओर इस समय वादी ने सरसों की फसल काश्त कर रखी है तथा राज्य सरकार में पैनेल्टी भी वादी ही अदा करता चला आ रहा है। यहकि हाल ख0नं0 17 रकबा 0.05 है0 भूमि में वादी के पिता ने मकान व बाडा बना रखा है, मकान में वादी निवास कर रहा है ओर बाडे में वादी कृषि संबंधी सामान रखता है तथा ख0नं0 18 रकबा 0.04 है0 में वादी ने गै0मु0चाह बना रखा है व ख0नं0 19 रकबा 0.96 है0 भूमि कब्जे काश्त में चली आ रही है वादी उक्त भूमि को ख0नं0 18 में स्थित गै0मु0चाह से सिंचित करता चला आ रहा है। यह कि सैटलमेंट के दौरान उक्त भूमि को बिना किसी अधिकार के चरागाह अंकित कर दिया गया है, उक्त भूमि पर गांव के जानवर भी नहीं चरते है बल्कि वादी ही खेती का कार्य कर उपयोग–उपभोग कर रहा है। यहकि हाल ख0नं0 17 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 18 रकबा 0.04 है0 ख0नं0 19 रकबा 0.096 है0 जो कि साबिका ख0नं0 6 मिन व 3/3 के हिस्से है का, वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें। यहकि प्रतिवादीगण आये दिन वादी के कब्जे काश्त में मजामहत करते है, हल्का पटवारी उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देता है, इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वें स्वयं जरिये ऐजेन्ट नोकर चाकर के वादी को

ख0नं0 17 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 18 रकबा 0.04 है0 ख0नं0 19 रकबा 0.096 है0 से बेदखल नहीं करें ओर वादी के कब्जे काश्त में मजामहत नहीं करें।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जिसके अनुसार वाद के चरण नं. 1 बरूह रिकार्ड बाबत ख0नं0 7 मिन रकबा 1 बीघा व 3/3 रकबा 9 बीघा के लिये स्वीकार है। चरण नं. 2 आंशिक रूप से स्वीकार है । चरण नं. 3 बरूह रिकार्ड आंशिक रूप से स्वीकार है। चरण नं. 4 बरूह रिकार्ड आंशिक रूप से स्वीकार है। चरण नं. 5, 6, 7 स्वीकार नही है। चरण नं. 8 लगायत 12 न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से जवाब अपेक्षित नहीं है। साबिक ख0नं0 6 मिन रकबा 1 बीघा 3 मिन रकबा 8 बीघा व 36 मिन को मिलानकर एवं नं0 20 रकबा 1.09 है0 मिलान क्षैत्रफल से प्रदर्शित है। जिसके अनुसार वादी की पूर्व आवंटित 10 बीघा भूमि की पूर्ति नही हुई है। परन्तु मौके पर वादी का कब्जा चरागाह पर होने के कारण जरिये नक्शा शीट (पुराना) कब्जा वादी द्वारा प्रदर्शित नही किया गया है। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में विवाद ग्रस्त आराजी धारा 16 के अन्तर्गत की भूमि होने के कारण वाद निरस्त योग्य है।

पत्रावली में तनकियात कायम कर सुनाई गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। प्रदर्श–1 जमाबन्दी संम्वत 2036–39, प्रदर्श–2 जमाबन्दी संम्वत 2050–53, प्रदर्श–3 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 प्रदर्श–4 व 5 हाल जमाबन्दी सम्वत 2070–73, प्रदर्श–6 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–7 प्रमाणित प्रति पी–14, प्रदर्श–8 नकल जमाबन्दी सम्वत 2032–35 प्रदर्श–9 जमाबन्दी सम्वत 2036–39 प्रदर्श–10 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 प्रदर्श–11 नामान्तकरण पंजिका ग्राम तितरिया तहसील देवली प्रदर्श–12 भू–प्रबन्धक विभाग का खसरा पत्रक पेश किये है। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1

वादी जगदीश पुत्र सांवता कोम मोग्या आयु 60 वर्ष निवासी तितरिया, तहसील देवली व पी. डब्ल्यू–2 भूरा पुत्र मांगीलाल कोम कहार आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम तितरिया तहसील देवली के पेश किये है, साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 व 2 ने वाद के तथ्यो को ही दोहराया और वाद डिक्री करने की प्रार्थना की।

पेरोकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि सेटलमेन्ट ने वादी के पिता की आराजी को बिना किसी विधिक अधिकार के चारागाह दर्ज रिकॉर्ड कर दिया जबकि ख. नं. 20 दरकबा 1.09 है0 को वादी की खातेदारी में लगा दिया। जिसका भू–प्रबन्ध कर्मचारियो को कोई अधिकार नहीं था। पेरोकार सरकार ने भी अपने जवाब में आंशिक रूप से स्वीकार किया है कि वर्तमान में विवादित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है और वाद के बिन्दूओं को स्वीकार किया है। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान इस पर आपति की गई है कि पैरोकार सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के दस्तावेज से यह सिद्व नही किया है कि वाद किसी प्रकार से निरस्त योग्य है। अधिवक्त वादी द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि सेटलमेन्ट विभाग को बिना किसी आधार के पुरानी प्रविष्टियो को परिवर्तन करने का अधिकारी नही है। भू–प्रबंध के दौरान पुरानी प्रविष्टियों को ही दोहराया जाता है। उक्त आराजी भूमि को चारागाह दर्ज किया गया है। इस बाबत वादी ने जो दस्तावेज व साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये है उनसे यह साबित हो जाता है कि उक्त विवादित आराजी भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व वादी के पिता की भूमि थी और वर्तमान में वादी ही काश्त करता आ रहा है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया जवाब के तथ्यो को ही दोहराया। वादीगण का उक्त विवादित आराजी भूमि पर कितने वर्षो से कब्जा काश्त है इस सम्बन्ध में कोई औथेन्टिक दस्तावेज पेश नहीं किये है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद खारिज योग्य है।

तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है:–

तनकी नं.1:– आया वादी साबिक ख. नं. 6 मिन रकबा 1 बीघा व साबिका खसरा नम्बर 3/3 रकबा 9 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा के हाल ख. नं. 17 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 19 रकबा 0.96 है0, खसरा नम्बर 20 रकबा 1.09 है0 वाके ग्राम तितरिया बने है? –वादीगण–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबन्दी संम्वत 2036–39 के कॉलम संख्या 5 में सांवता पुत्र गोरधना कोम मोग्या के नाम 6 मिन रकबा 1 बीघा व 3/3 मिन रकबा 9 बीघा कुल रकबा 10 बीघा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–2 जमाबन्दी संम्वत 2050–53 के कॉलम संख्या 4 में सांवता पुत्र गोरधना कोम मोग्या सा.देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा मूर्तहीन के नाम कॉलम 5 में खसरा संख्या 20 रकबा 1.09 है0 दर्ज रिकॉर्ड थी जो नामान्तकरण संख्या 131 दिनांक 28/9/95 से वादी के नाम विरासत से आयी जो कॉलम संख्या 12 से 17 में अंकित है। प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046–65 के अनुसार ख. नं. 36 मिन, 6 मिन रकबा 1 बीघा, 3 मिन रकबा 8 बीघा से ख. नं. 20 रकबा 1.09 है0 से बनना दर्शित है, जो वर्तमान में वादी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है यद्यपि वादी के अनुसार ख. नं. 20 साबिका ख. नं. 6 मिन व 3/3 मिन से बना है। प्रदर्श–10 ख. नं. 17 रकबा 0.05 है0, ख. नं. 18 रकबा 0.04 है0, ख. नं. 19 रकबा 0.96 है0 साबिक ख. नं. 37 मिन से बने है जबकि वादी के अनुसार ख. नं. 17, 18, 19 20 साबिक ख. नं. 6 मिन रकबा 1 बीघा व साबिक ख. नं. 3/3 से बने है जिसको वादी ने किसी भी दस्तावेज से

ाबित नहीं किया है। अतः साबिका ख. नं. से हाल ख. नं. को मिलान क्षैत्रफल से साबित नहीं करने व अन्य राजस्व रिकॉर्ड से वाद को साबित नहीं करने के अभाव में वादी तनकी नम्बर 1 सिद्व करने में असफल रहा है। अतः तनकी नं. 1 विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2 :– आया वादी खसरा नम्बर 17 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 19 रकबा 0.96 है0, का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने तथा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जेकाश्त में मजामहत नहीं करने व बेदखल नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का हकदार है ? –वादीगण–

तनकी नं. 2 को साबित करने का भार वादी पर था। तनकी नं. 1 के निर्णय अनुसार तनकी नं. 2 विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 3 :– आया प्रतिवादीगण, वादग्रस्त आराजी भूमि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तथा धारा 16 के अन्तर्गत की भूमि होने के कारण वाद निरस्त योग्य है ? –प्रतिवादी–

तनकी नं. 3 को साबित करने का भार पेरोकार सरकार पर था जिसको पेरोकार सरकार ने अपने जवाब के द्वारा बखूबी साबित किया है। अतः तनकी नं. 3 विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उक्त तनकीवार विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा विवादित आराजी को राजस्व रिकॉर्ड से साबित नहीं करने के अभाव व विवादित आराजी धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी में होने के कारण वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..मुकाम देवली

व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टो...

उनवानी दावा :

उनवानी दावा :

जगदीश पुत्र सांवता कोम मोग्या आयु 60 वर्ष निवासी तितरिया तहसील देवली जिला–टोंक

– वादीगण –

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक
3. ग्राम पंचायत हिसामपुर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत हिसामपुर तहसील देवली, जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण –

<u>दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं. 65 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री बंशीलाल कलवार अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 3 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

विवादित आराजी को राजस्व रिकॉर्ड से साबित नहीं करने के अभाव व विवादित आराजी धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी में होने के कारण वाद खारिज किया जाता है।

निजी..मुवलिक..बाबत् ....
........................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 03 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए